



2026:AHC:49619

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5560 वर्ष 2026

रवींद्र कुमार वर्मा एवं 5 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: महेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को इस आदेश से कोई आपत्ति या व्यथा होती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका में मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2- अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी को अपील संख्या सी202514000000824 वर्ष 2025 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह उपरोक्त अपील का निस्तारण कानून के अनुसार कड़ाई से और यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर करे, और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न करे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी